



COLLEGE OF AGRICULTURE
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
BHUSAWAR-BHARATPUR 321406, RAJASTHAN

Dr. M.L. Meena
Dean

कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
भुसावर, भरतपुर- 321406 राजस्थान

+91-9414846306
dean.coabhusawer@sknau.ac.in


क्रमांक: एफ.() / फार्म / कृमविभु / 2026 / 286

दिनांक: 02.07.2026

सीमित निविदा सूचना


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, भुसावर (भरतपुर) के खरीफ-2026 में हिस्सा आधारित खेती के कार्य के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं / फर्मों / सेवाप्रदाता संस्थाओं / कृषकों से निर्धारित प्रपत्र में सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय दिवस में दिनांक 04.07.2026 को प्रातः 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 04.07.2026 को दोपहर 11:00 बजे तक जमा होंगे। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दोपहर 12:00 बजे केन्द्र की कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

| क्र.सं. | कार्य विवरण | अनुमानित राशि (रु) | प्रतिभूति राशि |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | फार्म की 15 हैक्टेयर भूमि पर खरीफ-2026 में हिस्सा आधारित खेती का कार्य | 1.99 लाख | 10000/- |


अधिष्ठाता


प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in व <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर महाविद्यालय द्वारा अपलोडिंग को सहमति प्रदान करने का श्रम प्रदान करें।
3. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा कृषि महाविद्यालय, भुसावर।
4. कृषि महाविद्यालय, भुसावर के सूचना पट्ट/तहसील कार्यालय/पंचायत समिति भुसावर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
5. रक्षित फाइल


अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, भुसावर (भरतपुर)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
हिस्सा आधारित कृषि हेतु
सीमित निविदा प्रपत्र नं० 01

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. योजना का नाम | हिस्सा आधारित खेती |
| 2. बजट हैड | रिवोल्विंग फण्ड |
| 3. कार्य की अनुमानित अवधि | खरीफ वर्ष 2026 |
| 4. प्रतिभूति राशि | 10000 /- रुपये (सफल निविदादाता द्वारा) |
| 5. अनुमानित लागत | 1.99 लाख |
| 6. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय | 04.07.2026 प्रातः 10:30 बजे तक |
| 7. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय | 04.07.2026 प्रातः 11:00 बजे तक |
| 8. निविदा खोलने की दिनांक व समय | 04.07.2026 दोपहर 12:00 बजे |
| 9. परिशिष्ट संख्या एक से चार | निविदा की शर्तें |
| 10. परिशिष्ट संख्या चार – पृष्ठ संख्या पाँच | फसल व हिस्सेदारी का विवरण |
| 11. पत्राचार हेतु पता:- | कृषि महाविद्यालय, भुसावर (भरतपुर) मोबाईल नं०-9414846306 |


अधिष्ठाता

कृषि महविद्यालय, भुसावर (भरतपुर)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
हिस्सा आधारित खेती हेतु
तकनीकी निविदा प्रपत्र खरीफ-2026

फर्म का नाम व पता मय दूरभाष:-

1. प्रतिभूति राशि रू. 10000 को डी०डी० सं०/बी०सी० सं०/कैश रसीद द्वारा सफल निविदादाता जमा करवाये।
2. पैन नं० (फोटोप्रति संलग्न करें)
3. आधार संख्या (फोटोप्रति संलग्न करें)
4. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
5. सफल निविदादाता को 100/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।
7. बिल का भुगतान कार्य पूरा होने के पश्चात् कोष कार्यालय, जोबनेर से पास होने के बाद किया जावेगा।
8. निविदा सील बन्द लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा बन्द लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा।
9. प्रतिभूति राशि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

नोट: प्रपत्र-स निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें।

हस्ताक्षर निविदादाता




निविदा शर्तें:-

1. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भुसावर (भरतपुर) को प्रेषित होनी चाहिए।
2. प्रस्तावित हिस्सेदारी प्रतिशत फसल के सामने स्पष्ट लिखकर देनी होगी। किसी भी प्रकार की कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फफूंदनाशक, कीटनाशक कल्चर आदि की आपूर्ति महाविद्यालय द्वारा ही की जायेगी जो फार्म प्रभारी की सिफारिश के अनुसार देय होगी तथा इनसे संबंधित कार्य फार्म प्रभारी के निर्देशन में ही करने होंगे।
4. निविदादाता को सिंचाई संबंधी पाईप, फव्वारे बेंड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे, नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
5. थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रैक्टर ट्रौली महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवा दी जावेगी।
6. फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा जो कि कॉन्ट्रैक्टर (निविदादाता) को मान्य होगा।
7. फार्म पर बुवाई क्षेत्र के आस-पास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। पौधे नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।
8. प्रथम वरीयता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश अधिष्ठाता दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि खरीफ सीजन 2026-27 तक के लिए मान्य होगी।
9. कृषि महाविद्यालय भुसावर के कृषि फार्म सैधली पर सिंचाई सुविधा नहीं है, अतः सिंचाई की व्यवस्था सफल निविदादाता ठेकेदार को अपने स्तर व साधनों से करनी होगी।
10. निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर फार्म पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी मजदूर को उपयोग करने देगा।
11. फार्म पर बोई गयी खरीफ फसल की जानवरों से सुरक्षा एवं देखभाल भी निविदादाता को ही करनी होगी।
12. सफल निविदादाता द्वारा प्रतिभूति राशि 10000/- रुपये नकद/चैक/डी.डी./बी.सी. जमा करानी होगी। जिस पर किसी भी प्रकार की ब्याज देय नहीं होगी।
13. फार्म पर 15 हैक्टेयर कृषि भूमि है, फसल के हिसाब से क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है।
14. यह ठेका खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए कार्यालय आदेश जारी होने या फसल फार्म फील्ड से उठने जो पहले हो तक मान्य होगा। फसल फील्ड में से उठने तक की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
15. वजन तोलते समय नमी, कचरा आदि के लिए एक प्रतिशत तक कुल वजन में से काटा जावेगा।
16. जुताई हेतु ट्रैक्टर सहित सभी यन्त्र, डीजल आदि व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।
17. बुवाई से लेकर थ्रेसिंग तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करना होगा।
18. स्वीकृत निविदादाता को सिंचाई संबंधी पम्पसैट, पाईप व अन्य सामान गिनकर लिखित में प्राप्त करना होगा व गिनकर वापिस जमा कराना होगा व जिसकी चौकीदारी स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी।
19. थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद ठेकेदार को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित फसल निकालने के समय जो भी समर्थन मूल्य होगा उसके हिसाब से एवं जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं हुआ हो तो उन फसलों के कृषि उपज मण्डी के 7 दिनों के औसत भाव के आधार पर या महाविद्यालय द्वारा विक्रय किये केवीवीएसएस दर पर उस हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कोष कार्यालय से प्रीआडिट होने पर कर दिया जायेगा।

20. ठेकेदार को फसल कटाई के बाद कटी हुई फसल को कहाँ इकट्ठा करना है व कितने ढेर बनाने है। इसके लिए फार्म प्रभारी/फार्म प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा व फसल इकट्ठा करने हेतु प्रतिकूल मौसमीय परिस्थिति को देखते हुए फार्म प्रभारी व प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा एवं उनके निर्णय के अनुसार कार्य शीघ्रता से करना होगा।
21. निराई, गुड़ाई, थ्रेसिंग, दवाओं का छिड़काव/भुरकाव व अन्य संबंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए निविदादाता को करना होगा।
22. फसल की थ्रेसिंग के पश्चात् साफ किये दाने को बोरियों में भरकर, तोलकर गोदाम में पहुँचाकर धांग लगानी होगी। अगर थ्रेसिंग करते समय बोरियों में कचरा पाया जाता है तो कमेटी एवं स्टोरकीपर द्वारा समस्त माल को साफ करवाकर पुनः वजन कर बोरियों में भरवाया जावेगा। जिसकी मजदूरी संबंधी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की ही होगी।
23. थ्रेसिंग के दौरान लगने वाले श्रमिक का सभी खर्चा स्वयं ठेकेदार का होगा।
24. थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पाद को खलिहान से गोदाम तक लाने हेतु ट्रैक्टर-ट्रॉली केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।
25. फसल में रोगिंग/अवांछित पौधों को निकालने का कार्य फार्म प्रभारी/फार्म प्रबन्धक की देखरेख में अलग-अलग समय पर करना होगा।
26. फसल की दिन व रात्रि चौकीदारी निविदादाता की होगी व निविदादाता को दिन व रात्रि में अपना चौकीदार रखना अनिवार्य होगा।
27. निविदादाता को सभी कार्य समय पर फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की मॉग अनुसार कराने होंगे यदि कोई कार्य समय पर नहीं कराया गया या प्रभारी अधिकारी, कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जायेगा व भुगतान ठेकेदार को करना होगा या अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।
28. जिसके नाम हिस्सा बटाई का ठेका छूटेगा उसी व्यक्ति को आदेश मिलने के बाद से ही निविदा की शर्तों के अनुसार फार्म फील्ड की चौकीदारी का कार्य भी संभालना होगा। जो कि खरीफ फसल खेत में से उठने तक मान्य होगा।
29. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
30. थ्रेसिंग का कार्य सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक किया जावेगा।
31. सफल निविदादाता को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
32. अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के पश्चात् रु 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कराना होगा व एकमुश्त/मुग्गम प्रतिभूति अमानत राशि 10000/- जमा करवानी होगी।
33. अन्तिम भुगतान हेतु ठेकेदारों को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
34. किसी भी कार्य हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
35. यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
36. प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
37. किसी प्रकार के प्राकृतिक होने वाले नुकसान के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें महाविद्यालय किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
38. निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
39. मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार हिस्सा बटाई की खेती करने हेतु सहमत हूँ।
40. कड़व/भूसा/चारे पूर्णतः सफल निविदादाता का होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता


अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, भुसावर (भरतपुर)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

निविदादाता द्वारा किये जाने वाले कार्य व प्रतिशत हिस्सा का विवरण
वित्तीय निविदा प्रपत्र-1

कृषि फार्म सैधली कृषि महाविद्यालय, भुसावर - महाविद्यालय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

| क्र० सं० | फसल | विवरण | निविदादाता द्वारा प्रस्तावित स्वयं का हिस्सेदारी प्रतिशत |
|----------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 1. | बाजरा, ग्वार, उड़द, तिल एवं अन्य फसलें* | 1. दाना | |

*कड़व/भूसा/चारे पूर्णतः सफल निविदादाता का होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता


कृषि महाविद्यालय, भुसावर (भरतपुर)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

सीमित निविदा हेतु वाछिंत दस्तावेजात की सूची निम्न प्रकार संलग्न करें

| क्र. सं. | आवश्यक दस्तावेजात का विवरण | संलग्न सूची क्रमांक |
|----------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | पैन कार्ड स्वप्रमाणित फोटो प्रति | |
| 2. | ब्लेक लिस्ट न होने का घोषणा प्रपत्र | |
| 3. | शर्तों पर सहमति पत्र | |
| 4. | आधार कार्ड स्वप्रमाणित फोटो प्रति | |
| 5. | बैंक पासबुक/केन्सिल चैक स्वप्रमाणित फोटो प्रति | |
| 6. | संतोषजनक कार्य करने का प्रमाणपत्र यदि हो तो | |

नोट:- उपरोक्त वाछिंत दस्तावेजात के अभाव में निविदा अनुत्तरदायी माना जावेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अनुत्तरदायी होने पर फर्म की वित्तीय निविदा को नहीं खोला जावेगा। उपरोक्त दस्तावेज सूची अनुसार तकनीकी प्रपत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर


अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय, भुसावर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालय में कार्य किया है विगत 3 वर्षों में किसी भी कारण से हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के
हस्ताक्षर

